राजस्थान सरकार

वित्त (विधि प्रको0) विभाग

क्रमांकः– प.1(642)वित्त/विप्र/09पार्ट जयपुर, दिनांक 16 DEC 2016

परिपत्र

विषय– विभागाध्यक्ष स्तर पर प्री–लिटिगेशन एवं अपील मॉनिटरिंग समिति गठित करने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार के स्तर पर प्री–लिटिगेशन एवं अपील मॉनिटरिंग समिति की स्थापना विभाग के शासन सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है जिससे सुविचारित तौर पर विचार होने से अनावश्यक अपील दायर होने पर प्रतिबन्ध लगा है और केवल आवश्यक एवं युक्तिसंगत प्रकरणों में ही अपील दायर हो रही हैं।

लेकिन यह ध्यान में आया है कि विभागाध्यक्ष स्तर पर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर अपीलीय कार्यवाही करने के सम्बन्ध में गम्भीरता से परीक्षण नहीं हो रहा है और सुविचारित निर्णय का अभाव देखा जा रहा है। इसके निराकरण हेतु विभागाध्यक्ष स्तर पर भी प्री–लिटिगेशन एवं अपील मॉनिटरिंग समिति निम्नानुसार गठित की जाती है–

1.	विभागाध्यक्ष/अति0 विभागाध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	विभागीय विषय विशेषज्ञ अधिकारीगण	सदस्य
3.	लेखा शाखा के वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
4.	विधि सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य सचिव

यह समिति विभागाध्यक्ष स्तर पर प्राप्त नोटिस, न्याय मांग हेतु अभ्यावेदन एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर न्यायालय प्रकरणों में अपीलीय कार्यवाही से सम्बन्धित प्रकरणों में कार्य सम्पादन करेगी।

विभागाध्यक्ष द्वारा जो अपीलीय कार्यवाही के प्रस्ताव वित्त विभाग को अग्रेषित किये जावेंगे उनके साथ विभागाध्यक्ष स्तर पर प्री–लिटिगेशन एवं अपील मॉनिटरिंग समिति की अनुशंषा आवश्यक रूप से संलग्न कर प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जावेगा।

सभी सम्बन्धितों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिशा–निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावे।

(प्रवीण गुप्ता)
शासन सचिव,
वित्त (राजस्व) विभाग
13/12/XVI

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राज0, जयपुर/ आयुक्त, आबकारी विभाग, राज0, उदयपुर।
2. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर ।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग/ कोष एवं लेखा विभाग/पेंशन विभाग/निरीक्षण विभाग/स्था0 निधि एवं अंकेक्षण विभाग/अति0 निदेशक, सामान्य बीमा विभाग, जयपुर ।
4. महाप्रबन्धक, गंगानगर शुगर मिल्स, जयपुर/महाप्रबन्धक, आरबीसीएल जयपुर ।
5. सदस्य सचिव, आरपीएमएफ, जयपुर।
6. वित्त विभाग के सभी अधिकारीगण एवं अनुभाग।
7. अति0 निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग, जयपुर।

संयुक्त विधि परामर्शी